



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18032026-271048
CG-DL-E-18032026-271048

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 188]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 18, 2026/फाल्गुन 27, 1947

No. 188]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 18, 2026/PHALGUNA 27, 1947

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो)

नई दिल्ली, 18 मार्च, 2026

सा.का.नि. 194(अ).—विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी गतिविधि निवारण अधिनियम, 1974 (1974 का 52) की धारा 8 के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग), की अधिसूचना सं. सा. का. नि. 173 (अ), दिनांक 13 मार्च, 2025 के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पहले की गयी या छोड़ी गयी वस्तुओं के सिवाए, केंद्र सरकार एतद्वारा एक वर्ष की अवधि के लिए सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:-

- 1) माननीय श्री न्यायमूर्ति अनुप जयराम भंभानी - अध्यक्ष
 - 2) माननीय श्री न्यायमूर्ति अनीश दयाल - सदस्य
 - 3). माननीय श्री न्यायमूर्ति तेजस कारिया - सदस्य
2. यह अधिसूचना 23 मार्च, 2026 से प्रभावी होगी।

[फा. सं. पी. डी. 13004/01/2019-कोफेपोसा]

राम प्रभाकर, उप सचिव

पाद टिपणी: दिनांक 13 मार्च, 2025 की अधिसूचना सं. सा. का. नि. 173(अ) भारत के राजपत्र (असाधारण) भाग II, खण्ड 3, उप खण्ड- (i) में दिनांक 13 मार्च, 2025 को प्रकाशित हुई।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL ECONOMIC INTELLIGENCE BUREAU)

New Delhi, the 18th March, 2026

G.S.R. 194(E).—In exercise of the power conferred by clause (a) of Section 8 of the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 (52 of 1974) and in supersession of the Notification G.S.R. No. 173 (E) dated 13th March, 2025 of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue), except in respect of things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby reconstitutes the Advisory Board for a period of one year, consisting of :-

(i)	Hon'ble Mr. Justice Anup Jairam Bhambhani	-	Chairperson
(ii)	Hon'ble Mr. Justice Anish Dayal	-	Member
(iii)	Hon'ble Mr. Justice Tejas Karia	-	Member

2. This notification shall come into force with effect from 23rd March, 2026.

[F. No. PD-13004/01/2019-COFEPOSA]

RAM PRABHAKAR, Dy. Secy.

Footnote: The Notification G.S.R. No. 173(E) dated 13th March, 2025 was published in the Gazette of India (Extraordinary) Part II, Section 3, Sub Section (i) on 13.03.2025.